

पत्रांक 10 / न 4-07 / 11.....

बिहार सरकार

पानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

दशरथ राम
विशेष निदेशक (मा० शि०)

सेवा में

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

विषय : सूरजदेव मेमोरियल स्कूल, सूरजदेव नगर, बागमली, हाजीपुर, वैशाली को
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

पटना, दिनांक

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा सूरजदेव मेमोरियल स्कूल, सूरजदेव नगर, बागमली, हाजीपुर, वैशाली को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशासा की गयी है।

समिति की अनुशासा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय सूरजदेव प्रसाद एजूकेशनल एंड वेलफेर ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का बौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के बांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय जो वर्तमान में अपने नवनीर्मित भवन में संचालित है, जहां 01 एकड़ 60 डि० भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर, विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया के अनुसाला करते हुए पारदर्शक वर्तमान विद्यालय में 12 शिक्षक हो सकते वह एस० ई० नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नमूना छुला करने का नहीं शुल्क किया जायेगा तथा उनसे टधूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रुपया प्रतिवर्ष होंगे को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/केठीजी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का वयन किया जायगा।

(iii) नर्सरी/केठीजी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 इ0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय इनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। रकूल को यह शर्त सार्वजनिक दर्ता होनी तथा इसका उल्लेख प्रोफेटम एं नेवराईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन वो स्थिति में अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक / छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खला रहेण।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस शर्त के साथ कि भविष्य में 2 एकड़ भूमि उपलब्ध करा लेगा सूरजदेव मेमोरियल स्कूल, सूरजदेव नगर, बागमली, हाजीपुर, वैशाली को सी० बी० एस० ई०, नई टिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दी जाती है।

अनलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

(दशरथ राम)

दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाखी कों उनके पत्रांक 25 दिनांक 10.01.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

131 84:02-11

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रतिलिपि : प्राचीर्य, सूरजदेव मेमोरियल रकूत, सूरजदेव नगर, बागमती, हाजीपुर, वैशाली को सच्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपित।